

कार्यालय, भूमि अवासीप्त अधिकारी, नगर प्रिवास परियोजना से, जयपुर।
४ जयपुर प्रिवास प्राधिकरण - भवन ४

क्रमांक: भू. अ. / नवि. / १। / -----

दिनांक/ १५/८/८८

विषय:- जयपुर प्रिवास प्राधिकरण को अपने कृत्यों के निर्वहन व प्रिवास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास, तहसील सांगानेर की भूमि अवासीप्त बाबत पृष्ठीराज नगर योजना

मुकदमा नम्बर: ५०८/८८

ः अ वा ई ०

उपरोक्त विषयान्तर्गत भूमि अवासीप्त हेतु राज्य सरकार के नगरीय प्रिवास स्वं आवासन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अवासीप्त अधिनियम १८९४ (१९८४) का केन्द्रीय भूमि अधिनियम संख्या - १ की धारा ४ (४) के तहत क्रमांक प-६ (६) नवि.आ/८७ दिनांक ६.१०.८८ का गजट प्रकाशन राजस्थान राजपत्र ७ जुलाई, १९८८ को प्रकाशित करवाया गया।

भूमि अवासीप्त अधिकारी द्वारा ५-८ की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजे के उपरान्त राज्य सरकार के नगरीय प्रिवास स्वं आवासन विभाग द्वारा भूमि अवासीप्त अधिनियम की धारा-६ का गजट प्रकाशन क्रमांक प-६ (६) नवि.आ/३/८७ दिनांक २८.७.८७ का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र ३। जुलाई, १९८७ को किया गया।

राज्य सरकार के नगरीय प्रिवास स्वं आवासन विभाग द्वारा जो धारा-६ का गजट प्रकाशन करवाया गया उसमें ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास तहसील सांगानेर, जयपुर में अवासीप्तधीन भूमि को स्थिति निम्न प्रकार बताई गई है।

(१)

| | | | | |
|---------|------------|----------|---|-----------------------|
| क्र.सं. | मुकदमा नं; | खसरा नं; | अवासीप्तधीन भूमि का रक्का बी. बि. | छातेदार/हितदार का नाम |
|---------|------------|----------|---|-----------------------|

| | | | | |
|----|--------|---------|---------|---|
| १. | ५०८/८८ | ३८५/४२५ | ०६ - १० | मुरेश्वन्द्र पुत्र राधाकिशन चतुर्वेदी सा. जयपुर। |
|----|--------|---------|---------|---|

मुकदमा नम्बर ५०८/८८ खसरा नम्बर ३८५/४२५ रक्का ६ बी. बि. १० बित्ता :-

धारा ६ के गजट नोटीफिकेशन में खसरा नम्बर ३८५/४२५ सुन्दर मुरेश्वन्द्र पुत्र राधाकिशन चतुर्वेदी, सा. जयपुर के नाम पर छातेदारी में दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवासीप्त अधिनियम की धारा ९ व १० के अन्तर्गत छातेदार/हितदार को नोटिस दिनांक २०.११.७० को जारी किये गये। तामिल कुनिन्दा की हलाकिया रिपोर्ट के अनुसार स्वयं छातेदार/हितदार को नोटिस तामिल कराया गया। छातेदार/हितदार उपस्थित नहीं हुआ। पुनः धारा ९ व १० का नोटिस दिनांक ५.३.७१ को जारी किया गया। तामिल कुनिन्दा की हलाकिया रिपोर्ट के अनुसार छातेदार/हितदार के

परिवार के वयस्क सदस्य को नोटिस तामिल कराया गया। नोटिस तामिल के पश्चात दिनांक २०.३.७१ को स्वयं खातेदार/हितदार सुरेशचन्द्र उपस्थित हुआ तथा प्रार्थना-पत्र के साथ दिनांक १८.१२.६३ व ४.१.६४ के विक्रय-पत्रों को जोष्टी प्रति प्रस्तुत की और आगामी तारीख पेशी पर क्लेम पेश करने के लिये निवेदन किया। खातेदार/हितदार दिनांक १५.४.७१ को इस न्यायालय में उपस्थित हुआ लेकिन नियत तिथि को उसने क्लेम प्रस्तुत करने में असमर्थता द्यक्त की और क्लेम प्रस्तुत करने के लिये और समय मांगा, समय दिया गया। आगामी तारीख पेशी १०.५.७१ को दावेदार/हितदार उपस्थित नहीं हुआ। इसलिये इसके विरुद्ध स्कतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। स्कतरफा कार्यवाही के पश्चात दि. १५.५.७१ को दावेदार श्री सुरेशचन्द्र न्यायालय में उपस्थित हुआ और उसने शपथ-पत्र के साथ प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें स्कतरफा कार्यवाही निरस्त करने हेतु निवेदन किया। प्रार्थना-पत्र पर विधार कर स्कतरफा कार्यवाही निरस्त की गई। दावेदार श्री सुरेशचन्द्र ने इसी तिथि को भूमि प्रस्तुत स्टेक्चर, कुआ, पेड़-पौधे आदि का क्लेम प्रस्तुत किया, जो निम्नतः है :-

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| प्रति वर्ग गज न्यूनतम दर | 195 रु. प्रति वर्ग गज |
| विकास शुल्क कम करने पर | 27 रु. " |
| कुल:- | 168 रु. " |

इस प्रकार प्रति बीघा 60 प्रतिशत भाग काम में लेने

पर भूमि की कीमत = $1815 \times 168 = 3,04,920 .00$

अर्थात तीन लाख, चार हजार, नौ सौ बीस रु. मात्र

प्रति बीघा बनती है।

यह एक प्रार्थी उक्त प्रति बीघा पाने का अधिकारी है।

7 बीघा भूमि है जिसका 60 प्रतिशत भूमि काम में आये

व 40 प्रतिशत तु अन्य सुविधाओं के लिये छोड़ दी जायेगी

इस प्रकार कुल रकम $7 \times 1815 = 12,705 .00$

प्रति वर्ग गज $168 \times 12705 = 21,34,440 .00$

48-ए स्ट्रैकर्चर्ट पक्का मकान $10' \times 8' = 80$ स्कूट

200 रुपये प्रति स्कूट = 16,000 .00

कच्चा मकान $11 \times 24 = 264$

100/- रु. प्रति वर्ग कुट 26,400 .00

कुआः 125 फीट गहरा

5 फीट चौड़ा आर.सी.सी. ब्लॉकिंग का

80.4x20 डीप बोरिंग

7- $\frac{1}{2}$ - एच.पी. मय बिजली फिटिंग

3,00,000 .00

| | | |
|--|------------------|---------|
| सोमेंट होमिया२, | 15,00 प्रति होदी | 3000.00 |
| डौला कुचा सहित 2050 फ्लैट ८/-रुपये प्रति फ्लैट | 16,400.00 | |
| कच्चा धोरा 1,500 फ्लैट ४ रुपये प्रति फ्लैट | 4,500.00 | |
| पेड़ = १४ खेजें व बंबूल के १५ से २०वर्ष पुराने 1,000/-प्रतिपेड 18,000.00 | | |

१८ बोबीस लाख, छ्यत्तर हजार, तोन सौ चालोस १८ कुल: 24,76,340.00
४ भूमि, ढूँडवर, पेड़-पौधे आदि सहित कुल मुआवजा को मांग को है।

यह कि केन्द्रीय भूमि अवासि अधिनियम को धारा 23 १२४ के अन्तर्गत मुआवजा राशि मुआवजा संशि 24,76,340/- समये पर ३० प्रतिशत अवासि अधिनियम को धारा ५ एवं ३४ के अनुसार ११ प्रतिशत वार्षिक दर से एक वर्ष तक तथा एक वर्ष के पश्चात १५% व्याज भुगतान को तिथि तक पाने को मांग को है।

यह कि केन्द्रीय भूमि अवासि अधिनियम माननीय सर्वोच्च न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान ब्राच ज्यपुर में भूमि को अवासि के सम्बन्ध में राज्य सरकार को एवं भूमि अवासि अधिकारी के निर्देश दिये गये हैं कि जिस खातेदार को भूमि का अवासि किया जाये उसके निवास हेतु 1500 कर्ग गज का भू-खण्ड रिजर्व प्राइस पर आवंटन करने की मांग को गई है।

यह कि प्रार्थी को खुद के निवास हेतु व परिवार के सदस्य के निवास हेतु 1500 कर्ग गज जमोन की मांग की है।

② अतः प्रार्थना-पत्र १८ क्लेम १८ प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी को उपरोक्त मुआवजा राशि के अतिरिक्त केन्द्रीय भूमि अवासि अधिनियम के अन्तर्गत खातेदार को मिलने वाली सुविधाये दिलाई जाये जो न्यायोक्ति भी है।

प्राधिकरण के अभिभाषक का कथन है कि खातेदार छलाण ने आपत्तियों द्वारा ११ व १० बोधा कर्वाही के समय प्रस्तुत को है जिन पर विवार नहों किया जा सकता तथा क्लेम के सबूत में बाजार दर के लिये कोई ठोस प्रमाण-पत्र एवं विक्रय पत्र प्रस्तुत नहों किये हैं। खातेदार के ग्राम बलरामपुरा उर्फ खेड़जों का बास को भूमि रकबा १ बोधा ६ बिस्वा ४५०/- समये वार आनाये, वर्ष १९६४ में बेचान बताया है तथा ग्राम बोन्यावास में ६ बोधा १० बिस्वा भूमि ६५०/- समये में, वर्ष १९६३ में विक्रय करना बताया है जो बहुत होर्डर में भूमि विक्रय करने को रजिस्ट्रियां हो जाएँ। दावेदार को मुआवजा निर्धारण में कोई लाभ नहों मिलता है। इसके अतिरिक्त स्टेक्वर के लिये रजिस्टर्ड वेल्यूवर से प्रमाणित तकमोना पेश नहों किया है तथा दावेदार को 1500 कर्ग गज भू-खण्ड देना संभव नहों है क्योंकि पृथ्वी राज नगर योजना प-

बुरा प्रभाव पड़ेगा। प्राधिकरण के अभिभाषक के इस कथन से सहमत है। अतः खातेदार/हितदार द्वारा छेष प्रस्तुत क्लेम बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया है जो निराधार है। अतः क्लेम के अनुसार मुआवजा राशि दिया जाना चाह संगत नहीं है।

केन्द्रीय भूमि अवासि अधिनियम को धारा ९ ॥५ के अन्तर्गत उपरोक्त मुकदमा में सार्वजनिक नोटिस भी दिनांक २९.४.७। को जारी किया गया जो तामिल कुनिन्दा द्वारा सम्बन्धित तहसील, पंचायत समिति, नोटिस बोर्ड, ग्राम पंचायत व सरपंच को दिये व चस्पा कराया गया।

मुआवजा निर्धारण :-

जहाँ तक पृथ्वीराज नगर योजना में मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के अदेश क्रमांक प-६५। ५५२ नविमा/८७ दिनांक ।०।०८७ द्वारा मुआवजा निर्धारण मुआवजा को सम्बन्धित लिये राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी का कठन शासन सचिव, राजस्व विभाग को अधिकारी में किया गया था लेकिन उक्त कमेटी द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के २२ ग्रामों में से किसी भी ग्राम को मुआवजा राशि का निर्धारण नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में इस कायलिय के पत्र क्रमांक ३५३-३५५ दिनांक ।।०२.७। द्वारा शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, तथा ज्यपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त, एवं सचिव, ज्यपुर विकास प्राधिकरण को भी निवेदन किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी में मुआवजा निर्धारण करने को प्रक्रिया शीघ्र ही पूर्ण करा ली जावे। इसके उपरान्त समय पर आयोजित मिटिंग्स में भी मुआवजा निर्धारण के लिये निवेदन किया गया। लेकिन कमेटी द्वारा कोई मुआवजा निर्धारण अभी तक नहीं किया गया।

इस प्रकार ज्यपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के २२ ग्रामों में स्थित भूमि के किसी भी खातेदार को बुलाकर नेगोशिएशन नहीं किया गया है।

विभिन्न राज्यों के माननीय उच्च न्यायालयों द्वारा समय पर जो निर्णय कृषि भूमि के मुआवजे निर्धारण के बारे में प्रतिपादित किये हैं। उनमें कृषि भूमि के मुआवजे निर्धारण का तरीका धारा-४ के गजट नोटिफिकेशन के समय रजिस्ट्रेशनों द्वारा उस क्षेत्र में पंजीयन दर के अनुसार निर्धारित माना गया। पृथ्वीराज नगर योजना में धारा-४ का गजट नोटिफिकेशन ७.७.८८ को हुआ था। इसलिये विभिन्न माननीय उच्च न्यायालयों के निर्णय के परिपेक्षा में जुलाई । १९८८ को विभिन्न उप-पंजीयकों के यहाँ पृथ्वीराज नगर योजना के क्षेत्र में भूमि यों की रजिस्ट्रेशन को दर क्या थी इस पर विवार करने के बत्तिरक्त कोई विकल्प नहीं रहता है।

इस अद्वार्द्ध में हितद्वारा सुरेश चन्द्र पृथि राधाकिशन ने क्लेम पेश किया है। उसकी पृष्ठ में बाजार दर के लिए किस्य पत्र एवं क्लेम कोई ठोस दस्तावेजात पेश नहीं किया गया है। अतः क्लेम के अनुसार मुखावजा राशि किया जाना चायसंगत नहीं है।

लेकिन नेवरल जिस्टिस कैस दान्त के अनुसार इस सम्बन्ध में ज्यपुर क्रिकास प्राधिकरण जिसके लिए भूमि अवासि की जा रही है का भी पक्ष जात किया गया। ज्यपुर क्रिकास प्राधिकरण के तचिव ने अपने पत्र क्रमांक टी०/आर०/१०/३३६ दिनांक ३-६-१। द्वारा इस सम्बन्ध में सुचित किया कि धारा ४ के नोटिफिकेशन के समय ग्राम मानपुर देवरो उर्फ गोल्ड्यावास में १५,०००/- रुपये प्रतिबोधा को दर से पंजीयन हुआ था इसलिए जहाँ तक उनके पक्ष का सम्बन्ध में है यह दर उचित है।

हमने इस सम्बन्ध में उप पंजीयको एवं तहसीलदार तहसील सांगानेर के यहाँ से अपने स्तर पर भी जानकारी प्राप्त की तो जात हुआ कि धारा ४ के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि को दर इससे अधिक नहीं थी। तहसीलदार जिव्रा प्रथम ने अपने य०.बो०.नेट दिनांक ८-५-१। द्वारा उप पंजीयक सांगानेर के यहाँ भी धारा ४ के गजट नोटिफिकेशन के समय जमीन को किस्य दर यही बताई है।

लेकिन इस च्यायालय द्वारा पूर्व में भी इसी क्षेत्र के आस-पास की भूमि को मुखावजा राशि २४,०००/- रुपये प्रति बोधा को दर से अवार्ड जारी किये गये एवं जिन्हा अनुमोदन राज्य सरकार से भी प्राप्त हो चुका है।

ज्यपुर क्रिकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री के०पी०मिश्र ने कोई लिखित में उत्तर नहीं लेकर मौखिक रूप से यह निवेदन किया है कि यदि मुखावजा राशि २४,०००/- प्रति बोधा को दर से त्य की जाती है तो जिव्रा को कोई आसिंत नहीं होगी। क्योंकि कुद्छ समय पूर्व इसी च्यायालय द्वारा इस भूमि के आस-पास के क्षेत्र में २४,०००/- रुपये प्रति बोधा को दर से अवार्ड पारित किये गये हैं।

अतः इस मामले में भी इस भूमि को मुखावजा राशि २४,०००/- प्रति बोधा को दर से त्य को दर से अवार्ड नहीं है एवं हम यह भी मानते हैं कि धारा ४ के गजट नोटिफिकेशन के समय भूमि को कोमत यही थी।

जहाँ तक पेड़-पोधे, सड़के, कुए एवं भूमि पर स्थित स्टेक्चर का प्रश्न है खातेदारान द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित तकमीने पेश नहीं किये गये हैं। ऐसी स्थिति में स्टेक्चर यौदि कोई होइ के मुखावजे का निर्धारण नहीं किया जा रहा है। इसका निर्धारण बाद में जिव्रा से तकनीकी अनुमोदि नहीं किया जा रहा है। इसका निर्धारण बाद में जिव्रा से तकनीकी अनुमोदि किया जाएगा।

हम इस भूमि के मुआवजे का निर्धारण तो 24,000/-रुपयें प्राप्ति बीघा की दर से करते हैंलेकिन मुआवजे का भुगतान विधिक रूप से मालिकाना हक तम्ब च्छी दत्तावेजात पेश करने पर ही किया जायेगा। मुआवजे का निर्धारण परिमिटर से के अनुसार जो इस अवार्ड का भाग है के अनुसार निर्धारित किया जा रहा है।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 238।६ संख्या 2382 के अन्तर्गत मुआवजे की उपरोक्त राशि पर नियमानुसार 30% जोलेश्विधम् एवं 12% अतिरिक्त राशि भी देय होगी । जिसका निधरिण परिशिष्ट "ए" में मुआवजे की राशि के साथ दर्शाया गया है ।

अंतर्रिक्त निदेशक श्रृंगम् सुंव सक्षम अधिकारी नगर भूमि एवं भवन कर विभाग ने अपने पत्र क्रमांक ११८ दिनांक ३१-५-९१ द्वारा इस कायदिय को तूषित किया है कि पृथ्वीराज नगर योजना के समस्त २२ ग्राम जयपुर नगर संकुलन तीमा में तमिलित है एवं अलतर अधिनियम से प्रभावित है लेकिन उन्होंने यह तूष्यना नहीं दी है कि अलतर अधिनियम १९७६ की धारा १०४३ की अधिकृपना प्रकाशित करवा दी अस्थिरा नहीं। ऐसी स्थिति में अवार्ड केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत पारित किये जा रहे हैं।

यह अवार्ड आज दिनांक 12-6-91 को प्राप्ति कर राज्य सरकार को अनु-
मोदनार्थ प्रेषित किया जाता है।

३५

भूमि अवासित अधिकारी,

१ नगर पिंडात परियोजनाएं, जवपुर ।

तंत्रजनः- परिशिष्ट "ए" की गणना तालिका

of a

यह बालक आज दिनांक २५-७-९१ को उत्तम अवस्था में
दिखाया गया है (15) एवं इसकी वज़नी ४८/५० दिनांक २५-७-९१
में दिखाया गया है। इसकी वज़नी ४८/५० दिनांक २५-७-९१
में दिखाया गया है। इसकी वज़नी ४८/५० दिनांक २५-७-९१
में दिखाया गया है। इसकी वज़नी ४८/५० दिनांक २५-७-९१

६१
प्रदर्शन को देखें
प्रदर्शन को देखें

प्रितिशिष्ठ " ए " गणना तालिका ग्राम - मानपुर डेवरो उर्फ गोल्यावास तहसील, ज्यपुर ।

| क्र.सं. | मुकदमा नम्बर | नामगतेदार/हतदार | खसरा | अवासितधीन | मुआवजा | मुआवजा | सोलेशियम | अतिरिक्त | कुल योग |
|---------|--------------|-----------------|------|---------------------|---------|----------|----------|----------|---------|
| | | | न० | भूमि का रक्खा को दर | को राशि | बो०० बि० | 30 रु | 12 रु | |

| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ | ९ | १० |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|

| | | | | | | | | | |
|----|--------|--|---------|-------|----------|------------|----------|----------|-------------|
| १० | 508/88 | सुरेश चन्द्र पुत्र रामकिशन चतुर्वेदी सा. ऐ.ह, ज्यपुरा | 385/425 | ०६-१० | 24,000/- | 1,56,000/- | 46,800/- | 54,912/- | 2,57, 712/- |
|----|--------|--|---------|-------|----------|------------|----------|----------|-------------|

नोट:- १। सोलेशियम ३० प्रतिशत कालम नम्बर ८ पर मुआवजा राशि पर दिया गया है।

२। अतिरिक्त राशि १२ प्रतिशत प्रति वर्ष की गणना धारा- ४ १४ का गजट दिनांक ७-७-८८ से १२-६-९१ तक दी गई है।

७८ ८

भूमि अवासि अधिकारी,
ग्राम विकास परियोजनाएं, ज्यपुर ।

०८ ०५